

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 जुलाई/2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव श्री अवनीश कुमार पाण्डेय, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महाराजगंज के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हो, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्ही भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभाष प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2470-77 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
2. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, महाराजगंज / कुशीनगर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, महाराजगंज / कुशीनगर।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
6. गार्ड फाइल।

(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 जुलाई/2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव श्री सूर्यमणि गुप्ता, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महाराजगंज के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हो, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्ही भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवाये उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य
तद्दिनांक

पत्रांकः 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2507-14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 3 मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली / महाराजगंज।
- 4 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली / महाराजगंज।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 6 गार्ड फाइल।

Yadav
29.7.16
(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/ दिनांक 29 जुलाई/2016

आदेश


तात्कालिक प्रभाव से शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत महानिदेशालय के आदेश संख्या-10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/ टी0सी0/ 2016-17/1130-36 दिनांक 30.06.2106 के क्रम संख्या-156 पर अकित श्री महेन्द्र यादव, प्रयोगशाला सहायक, ग्राम्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी किया गया स्थानान्तरण संशोधित करते हुये श्री यादव को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कासगंज के अधीन तैनात किया जाता है।

शेष शर्तें/प्रतिबन्ध/निर्देश यथावत रहेंगे।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य

पत्रांकः 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2925-34 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 3 मुख्य चिकित्साधिकारी एटा / मैनपुरी / कासगंज।
- 4 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, एटा / मैनपुरी / कासगंज।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 6 गार्ड फाइल।


(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 जुलाई/2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव श्री दुर्गा नाथ द्विवेद्री, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोनभद्र के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हो, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्ही भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य
तददिनांक

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/29/6-23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 3 मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत / सोनभद्र।
- 4 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागपत / सोनभद्र।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 6 गार्ड फाइल।

40
29.7.16
(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

